

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
पीठासीन अधिकारी-पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 69/2023  
जी.सी.एम.एस. पोर्टल संख्या- 2023/77

प्रार्थी  
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड  
तृतीय तल, जेएसईएल बिल्डिंग मालवीय  
नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मैसर्स नागौरी ट्रोली वर्क्स, प्रो. श्री फारुकदीन
2. फारुकदीन  
पता- (1) मेला मेदान, नागौर रोड,  
डीडवाना, राज-341303  
(2) पट्टा नं. 22 व 23 पैरी फेरी एरिया,  
नागौर रोड डीडवाना राज. 341303

आदेश

दिनांक : 28/3/2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ।

वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को ऋण खाता संख्या 174805004013 में रूपये 47,00,000/- (अक्षरे सैंतालीस लाख रूपये मात्र) एवं खाता संख्या 174855000008 में रूपये 9,22,000/- (अक्षरे नौ लाख बाईस हजार रूपये मात्र) इस प्रकार दोनो ऋण खातों में कुल राशि रूपये 56,22,000/- (अक्षरे छप्पन लाख बाईस हजार रूपये मात्र) का ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति- अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 22 व 23, पैरी फेरी एरिया, नागौर रोड, डीडवाना, जिला नागौर, राज. में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2292 वर्गफीट है, जो फारुकदीन पुत्र श्री जमालुदीन के नाम है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 17.05.2022 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के दोनो ऋण खाता संख्या 174805004013 में रूपये 49,49,904/- (अक्षरे उनचास लाख उनचास हजार नौ सौ चार रूपये मात्र) एवं खाता संख्या 174855000008 में रूपये 8,15,091.46/- (अक्षरे आठ लाख पन्द्रह हजार इकरानवे रूपये एवं पैसे छियालीस मात्र) इस प्रकार दोनो ऋण खातों में कुल राशि रूपये 57,64,995.46/- (अक्षरे सतावन लाख चौसठ हजार नौ सौ पिच्च्यानवे रूपये एवं पैसे छियालीस मात्र) दिनांक 19.10.2022 तक व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 21.10.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये एवं उक्त नोटिस का अखबारों में प्रकाशन करवाया गया परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण खाता संख्या 174805004013 में रूपये 49,49,904/- (अक्षरे उनचास लाख उनचास हजार नौ सौ चार रूपये मात्र) एवं खाता संख्या 174855000008 में रूपये 8,15,091.46/- (अक्षरे आठ लाख पन्द्रह हजार इकरानवे रूपये एवं पैसे छियालीस मात्र) इस प्रकार दोनो ऋण खातों में कुल राशि रूपये 57,64,995.46/- (अक्षरे सतावन लाख चौसठ हजार नौ सौ पिच्च्यानवे रूपये एवं पैसे छियालीस मात्र) दिनांक 19.10.2022 तक व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक््योरिटीज एवं सिक््योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

बैंक सिन्डिकोरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 22 व 23, पैरी फेरी एरिया, नागौर रोड, डीडवाना, जिला नागौर, राज. में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2292 वर्गफीट है, जो फारुकदीन पुत्र श्री जमालुदीन के नाम है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से खाता संख्या 174805004013 में रुपये 47,00,000/- (अक्षरे सैंतालीस लाख रुपये मात्र) एवं खाता संख्या 174855000008 में रुपये 9,22,000/- (अक्षरे नौ लाख बाईस हजार रुपये मात्र) इस प्रकार दोनों ऋण खातों में कुल राशि रुपये 56,22,000/- (अक्षरे छप्पन लाख बाईस हजार रुपये मात्र) को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। चो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर - (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी सय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति- अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 22 व 23, पैरी फेरी एरिया, नागौर रोड, डीडवाना, जिला नागौर, राज. में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2292 वर्गफीट है, जो फारुकदीन पुत्र श्री जमालुदीन के नाम है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



पीयूष समारिया)  
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर  
जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर